आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

620

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती किरन सिंह, प्रवक्ता	27.11.2021	श्री बलदेव इण्टर कालूेज बडगांव वाराणसी	पब्लिक इण्टर कालेज मनौरी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8/46-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक्।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

619

/2024-25 दिनांक ₂ दि जून,

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा सिंह, स0अ0	27.11.2021	श्रीमती रामदुलारी उ0मा0वि0 औतों औरैया	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज सभागंज पुरबनारा प्रयागराज	रिक्त पद . के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8136-45

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

618

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:--

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आराधना, स0अ0	19.1.2015	पब्लिक इ ण्टर कालेज गोला गोकर्णनाथ	गांधी शान्ति निकेतन इण्टर कालेज गौहनिया	रिक्त पद के प्रति
		लखीमपुरखीरी	जसरा प्रयागराज	2

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 212.6-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

627

/2024-25 दिनांक 🤉 🖧

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	ं अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नीतू, स0अ0	08.12.2021	नगर निगम गर्ल्स हाईस्कूल ताजगंज आगरा	रमादेवी बालिका इण्टर कालेज मीरापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।



आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

613

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ह	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 श्री रवि शंकर पाण्डेय, प्रवक्ता	2 30.4.2022	3 महर्षि शुकदेव इण्टर - कालेज मोरना मुजफ्फरनगर	4 चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज सभागंज, पूरबनारा प्रयागराज	रिक्त पद . के प्रति

सरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(१)तृतीय/ ६०७६ - ७५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

617_

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3 ·	4	5
श्रीमती पूनम देवी, प्रवक्ता	16.11.2021	नेहरू औद्योगिक इण्टर कालेज सरसई जालीन	सर्वाय महाविद्यालय इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8666 - 75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

611

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	. 5
श्री प्रशान्त कुमार मिश्र, स0अ0	23.10.2021	सरयू प्रसाद सिंह इण्टरमीडिएट कालेज, आमीपुर गिर्दकोर्ट प्रयागराज	जमुनापार इण्टर कालेज अमरेहा जसरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8056-65

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

625

/2024-25 दिनांक 2-8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रवीण कुमार तिवारी, स0310	23.11.2021	पं0पातीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अगराना हाथरस	शुक्लपुर इण्टरमीडिएट कालेज शुक्लपुर प्रयागराज	रिक्त पद · के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8206-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

621

/2024-25 दिनांक 2.6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वन्दना सिंह, स0अ0	07.12.2021	लाल ऋषि कन्या इण्टर कालेज रायबरेली	ग्राम विकास इ ण्टर कालेज देल्हूपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

ा संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७१८६—65 /2024—25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

624

/2024-25 दिनांक 9-8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
2	3	4	5
04.11.2020	निराला इण्टर कालेज भगवन्तनगर उन्नाव	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज भीरपुर	रिक्त पद के प्रति
	2	2 3 04.11.2020 निराला इण्टर कालेज	2 3 4 04.11.2020 निराला इण्टर कालेज सर्वोदय शिक्षा सदन

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8196-8265

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह स्निश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

623

/2024-25 दिनांक 9 री

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष कुमार शुक्ल, स0अ0	24.9.2013	आदर्श इण्टर कालेज जूडापुर बीहर दहियावा प्रयागराज	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज सभागंज पुरबनारा प्रयागराज	ेरिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ १\१८ - १।९६

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

622 /2024-25 दिनांक जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600 (169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	ं अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अच्युतानन्द, स०अ०	21.9.2015	श्री रणजीत पंo इण्टर कालेज लोहगरा प्रयागराज	महानारायण शुक्ल इण्टर कालेज बरौत प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / ८ १७६ – ८५ /२०२४–२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित् प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक 2 😽 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रोहित द्विवेदी, स0अ0	03.12.2022	बी0डी0बाजोरिया इण्टर कालेज सहारनपुर	लोकमान्य तिलक इण्टरमीडिएट कालेज	रिक्त पद के प्रति
			प्रतापगढ	

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

25- 2408 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

609

/2024-25 दिनांक, 2-9 जून, 2024

स्थानान्तंरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

Ollvii G.			· · ·	<u>क्रमानिच</u>
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा का	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5 - Dec 112
श्री मिथेलेश कुमार, स0अ0	28.7.2017	पब्लिक इण्टर कालेज ईसानगर लखीमपुरखीरी	राम नरेश इण्टरमीडिएट कालेज पूरेधनऊ सुजौली कुण्डा प्रतापगढ	ेरिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / १०३६ न ५५ /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

600

/2024-25 दिनांक 2 8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नीतू वर्मा, स०अ०	01.4.2017	जनता हायर सेकेण्डरी स्कूल धानी बाजार महराजगंज	गिरधारी सिंह जगपत सिंह सिंगरौर इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ %०2.6-35

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) तप शिक्षा निदेशक(मा०-

उप शिक्षा निदेशक (मा0—3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 दिनांक 🤈 💪 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

JII / 112JII	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	ानपुष्पा ।पाव	3	4	5
श्री रमेश कुमार, स0अ0—सम्ब्दु प्राइमरी	23.3.2017	श्री ब्रम्हचारी इण्टर कालेज तिल्हापुर कौशाम्बी	सर्वोदय आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज जूडापुर बीहर दहियावा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

ा संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ % ७०० ६ – १८०२ / २०२४ – २५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

615

/2024-25 दिनांक 2 6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तृत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश बहादुर सिंह, स0अ0	22.11.2021	जनता इं०का०अहद अमेठी	शंकर विद्यालय इण्टर कालेज कटैया प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8096 - 6165

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा ु संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

617

/2024-25 दिनांक 26 ज

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विजय प्रकाश, स0अ0	01.9.2017	शिक्षक बन्धु इण्टर कालेज बालपुर गोण्डा	बाला प्रसाद कुशवाहा इण्टरमीडिएट कालेज बलरामपुर बरेठी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8116-25 /2024-25 तदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

।— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।
3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानांचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

616

/2024-25 दिनांक 2 6 जून, 202

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, स०अ०	11.5.2022	श्री त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इं०का० गुरसराय झांसी	श्याम शंकर इं0का0 रामगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6106- 15

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

603

/2024-25 दिनांक 2 क जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूनम यादव, स0अ0	25.11.2021	श्री लालचन्द्र इण्टर कालेज जसरा प्रयागराज	पी०बी०इण्टर कालेज एवं अ०सा०हाईस्कूल प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 1976 - 85

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यिमक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

631

/2024-25 दिनांक 2 8 ंजून

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उर्षी दीक्षित, स०अ०	16.4.2021	सर्वोपयोगी इण्टर कालेज पलसेडा अलीगढ	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज करछना प्रयागराज	रिक्त पद . के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ८८६६ - ७८ /२०२४-

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

629

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार पाण्डेय स0अ0	01.12.2021	राजा रत्नसेन स्मारक इण्टर कालेज निचलौल महराजगंज	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज बगईखुर्द प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(१)तृतीय/ 🚱 ५६-८५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4– संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,

प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

604

/2024-25 दिनांक 2 क जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश कुमार सिंह, स0अ0	08.7.2017	चौ0 रधुनाथ सहाय इण्टर कालेज हथगांव फतेहपुर	सीताराम सिंह इण्टर कालेज बाबूगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 79 % – 95

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।
2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

630

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
111	2	3	4	5
श्री अविनाश सिंह, स0310	05.10.2023	डी०ए०वी० इण्टर कालेज अलीगंज एटा	इण्टर कालेज मानिकपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ & 2 5 6 — 65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

628

/2024-25 दिनांक _{2.} **8**

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	. 2
श्रीमती कविता देवी, स0अ0	03.12.2021	जनता इण्टर कालेज जैतपुर कला आगरा	मेवा लाल अयोध्या प्रसाद इण्टर कालेज सोरांव प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9236-95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 े जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तृत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	- 5
डॉ० ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाध्यापक	03.11.1998	किसान इण्टर कालेज पकडी भोजपुर रामपुर कला टाण्डा अम्बेडकरनगर	जयनाथ मानव इण्टर कालेज बैजलपुर अमरगढ प्रतापगढ	·रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

त्र संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ८२ ८० /२०२४—२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्र्रंत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

607

/2024-25 दिनांक 2 कि

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रचना यादव, स0अ0	30.11.2021	श्री देशबन्धु इण्टर कालेज बैशकांटी कौशाम्बी	जगत तारन गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७०१५ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

606

/2024-25 दिनांक 2 6 जून,

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निलखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नलिनी मिश्रा, स0310	01.12.2021	जिला जन कल्याण इण्टर कालेज उरसान कानपुर देहात	इलाहाबाद इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ % 0 0 G - LS

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(ग्रम्बर्चत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

605

/2024-25 दिनांक 🤈 🖟

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरेन्द्र बाबू पटेल, स0अ0	10.10.2023	चौ०रधुनाथ सहाय इण्टर कालेज हथगांव फतेहपुर	इन्दिरा गांधी इण्टर कालेज जाम्हा मऊआईमा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7996 - ७००५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

461

/2024-25 दिनांक 2 ८ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सरिता मिश्रा,	25.11.2021	लगसमा कन्या इण्टर	डी०पी०गर्ल्स इण्टर	रिक्त पद
स0अ0		कालेज गौण्डा अलीगढ	कालेज प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७० ५ 6 -5 5

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5— सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

460

/2024-25 दिनांक 26

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश कुमार, स0अ0	07.10.2011	सर्वोदय इण्टर कलोज पिण्डारा अमेठी	राजर्षि टण्डन इण्टरमीडिएट कालेज रामनगर अठगवा प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6636-45

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

459

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती दीपांजलि सिंह, प्रवक्ता	19.8.2016	लक्ष्मी नारायन जगदीश सरन कन्या इण्टर	सेवा समिति विद्या मंदिर इण्टर कालेज	रिक्त पद के प्रति
	1	कालेज मुरादाबाद	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6 ७ २ ६ – 3 - 5

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,

प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

458

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक. शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया त्ताता है-

जाता ह.—	100			अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	51.314(1
1	2	3	4	र रिक्त पद
श्रीमती सुरूचि सिंह, स0310	04.9.2014	बी0पी0शुक्ला इण्टर कालेज तिलोकपुर बाराबंकी	ईश्वर शरण इण्टरमीडिएट कालेज प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 60 16 - 25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

457

/2024-25 दिनांक 2_6 जून,

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्ण कुमार स0310	01.12.2021	राष्ट्रीय इण्टर कालेज सुजानगंज जौनपुर	शिवाजी इण्टर कालेज सहसो प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6006-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।
3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

456

/2024-25 दिनांक 2 % जून,

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विपिन कुमार स0अ0	30.12.2021	श्री ब्रम्हचारी इण्टर कालेज तिल्हापुर कौशाम्बी	आदर्श इण्टर कालेज जूडापुर बीहर दहियावां प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 5996 - 60 05

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सिनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

455

/2024-25 दिनांक 2 🎖 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	. 4	5
श्री शिववचन सिह, प्रवक्ता	24.7.2012	एस०ए०वी०इण्टर कालेज भरथना इटावा	इन्दिरा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज जाम्हा मऊआइमा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५० ८६ – १८ /२०२४ –२५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समिचत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

454

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानांन्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेखा देवी, स०अ०	29.7.2017	पण्डित प्रताप नारायण उ०मा० विद्यालय बहादुरपुर ईकौरापुर औरैया	एच0एन0बी0इण्टर कालेज हुसैनगंज फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

5976-85 / 2024–25 तददिनांक । पृष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वंतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

453

/2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेष्टमा गुप्ता, स०अ०	23.11.2021	चन्द्रशेखर इण्टरमीडिएट कालेज सभागंज पूरबनारा प्रयागराज	शिव इण्टरमीडिएट कालेज कटहरा हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 5966 - 75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानांचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(श्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

471

/2024-25 दिनांक 2 h

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उषा, स0अ0	10.7.2017	श्री अन्नदा चरण बनर्जी आदर्श शिक्षा सदन उ0मा0विद्यालय चन्दईपुर मीरजापुर	शिव इण्टर कालेज कटहरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

6146-SS पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।.

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामुचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

472

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्निलखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

1	गाता ह:—				
T	नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
-	1	2	3	4	5
	श्री अरविन्द कुमार स0अ0	04.8.2017	श्री स्वामी रामप्रकाश आदर्श इण्टर कालेज तिराहा, मुरहास जैतपुर फर्र्स्स्वाबाद	अनन्त प्रसाद सिंह इण्टर कालेज भदोही प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

् सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७१३ ६ - ५.५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगीः—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पंत्रावली।

(प्रमंचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

469

/2024-25 दिनांक 2 €

जन. 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4.	5
श्रीमती आरती यादव, प्रवक्ता	30.11.2021	श्री गोविन्द सिंह इं0का0 रौतापुर रायबरेली	पी0बी0इण्टरमीडिएट कालेज एवं अजीत सार्वजनिक हाईस्कूल प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6/2.6 - 3.5

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रिमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

460

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 2 4	2	3	4	. 5
श्री दुर्गेश कुमार सरोज, स0अ0	27.11.2021	कल्याणकारी इण्टर कालेज बधरा मुजफ्फरनगर	पं0 जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज जलालपुर सिकन्दरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6116-25

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

467

/2024-25 दिनांक २ 🖟

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पवन मिश्र, प्रवक्ता	28.3.2017	देवानागरी इण्टर कालेज कुरावली मैनपुरी	राम नरेश इण्टर कालेज पूरेधनऊ सुजौली कुण्डा प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पुष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6106-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

466

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नन्दलाल स0अ0	22.11.2021	वी०के०हायर से०स्कूल कुर्सीखेडा कानपुर देहात	अढ़ौली इण्टर कालेज अढ़ौली फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ६०५ ५ - ६१७५ /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(स्रमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

465

/2024-25 दिनांक ८ ४

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मनोज कुमार मिश्र, स0अ0	01.2.2021	जसवन्त राय स्मारक इण्टर कालेज, गोरखा गौरी गाजीपुर	बी०डी०दूबे इण्टर कालेज पहाडपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6086-95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

464

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग कुमार दुबे, स0अ0	25.11.2021	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज टटौरी बागपत	स्वामी करपात्री इण्टर कालेज कालेज रानीगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6 07 6 - 65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

463

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4 .	5
श्री आशीष कुमार त्रिपाठी स0अ0	22.11.2021	ग्राम्य दर्शन इण्टर कालेज कल्यानपुर कचरौली धाता फतेहपुर	बापू इण्टर कालेज रेहुआ लालगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

6066-75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाता हः— नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4 लक्ष्मी नारायण इण्टर	रिक्त पद
श्री सुधाकर सिंह, स०अ०	26.11.2021	मुंशी गजाधर सिंह जनता इण्टर कालेज कौमरी हाथरस	कालेज मेजा प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6056-65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेतः) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

48 2

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बृजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता	11.9.2006	हीरालाल राम निवास इण्टर कालेज खलीलाबाद संतकबीरनगर	राधारमण इण्टर कालेज दारागंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 62.5 6 - 6.5

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं .विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्शामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

481

/2024-25 दिनांक 2 6 जून, 2

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश प्रसाद सिंह स0अ0	01.11.2010	सुभाष इण्टर कालेज मथुरा	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज भीरपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6246 - 55

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

र्गमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

480

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार, स0अ0	18.5.2012	सर्वोदय इण्टर कालेज शुदनीपुर जौनपुर	विक्रमादित्य सिंह इण्टर कालेज गोरापुर प्रयागराज	रिक्त पव के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 62-36 - 45

/ २०२४–२५ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

479

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
शिप्रा त्रिपाठी, स0अ0	01.12.2021	मार्डन इण्टर कालेज रामराज मुजफ्फरनगर	श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज लोहगरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 62 2 6- 35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तिरत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तिरत विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6— गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

-	जाता है:–			<u> </u>	अभ्युक्ति
	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा का	5
	1	2	3	4	रिक्त पद
1	डॉ० पवन कुमार तिवारी प्रधानाध्यापक	21.7.2022	श्री नारायण इण्टर कालेज बडैरा औरैया	श्री कृष्ण इण्टर कालेज देवनहरी प्रयागराज	के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 62/6-25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

477

/ 2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश कुमार सरोज, स0अ0	28.7.2017	श्री वीर सिंह इण्टर कालेज बबीना जालौन	इन्दिरा गांधी इण्टर कालेज जाम्हा मऊआइमा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6 20 6 – ८ऽ

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 🤰 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष राज, स0अ0	29.11.2021	सर्वोदय इण्टर कालेज पिपरांव फर्रुखाबाद	सीताराम सिंह इण्टर कालेज बाबूगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

6196-6205 पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

475

/2024-25 दिनांक 2_8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुधीर कुमार कौशल, स०अ०	13.7.2012	जनता इण्टर कालेज जेवर गौतमबुद्वनगर	विक्रमादित्य सिंह इण्टर कालेज गोरापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 🖁 । 🖇 ५ – 9 🖇

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

ı— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्र्समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0−3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

474

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	. 3	4 '	5 Dia 112
श्रीमती पूनम देवी, स0अ0	01.12.2021	आदर्श कन्या इण्टर कालीज गढमुक्तेश्वर हापुड	आदर्श इण्टर कालेज बहरामपुर फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6176-65

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

473

/2024-25 दिनांक 2-6

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विजय कुमार पाण्डेय, स०अ०	08.11.2010	पब्लिक इ ण्टर कालेज कैराना शामली	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज बगईखुर्द प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6166-75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अंध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयंक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

472

/2024-25 दिनांक とら जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

שונוו פי_	70	W \		अभ्यक्ति
नाम/पदनाम	नियक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	51.3140
1	2	3	4	5
श्री संतोष कुमार, स०अ०	07.4.2006	राष्ट्रीय इण्टर कालेज गुलडिया बदायू	मंगला प्रसाद इण्टर कालेज बामपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6156-65

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

423

/2024-25 दिनांक ₂₋%

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अतुल प्रताप सिंह, प्रवक्ता	29.11.2021	डी०एस०एम०इण्टर कालीज कांठ मुरादाबाद	विक्रमादित्य सिंह इण्टर कालेज गोरापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक। पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6266- 🖔

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

297

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, सहायक अध्यापक	25.09.2017	उच्व्तर माध्यमिक विद्यालय सेलूमऊ, सीतापुर	हनुमत इण्टरमीडिएट कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५ ७ - 15

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सचनार्थ प्रेषित।

- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

296

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यिमक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यिमक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

allett C.			· · ·	
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनोद कुमार भारतीय, स0अ0	07.12.2010	सेठ वृंदावन इण्टर कालेज कोंच जालौन	ईश्वर शरण इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५३ १६ - ५५ ०५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमंचत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

295

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, स0340	14.3.2012	जनता इण्टर कालेज छछैरा सम्भल	माधव इण्टरमीडिएट कालेज सरस्वती आश्रम बमैला हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५३७ ७ - 95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6— गार्ड पत्रावली।

(रॉमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

294

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनोद कुमार सिंह, स0अ0	23.7.2013	श्री बृजहितकारी इण्टर कालीज बाजना मथुरा	श्रृंगी ऋषि इण्टर कालेज घटवा करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५३७ ६ - ८५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । आदेश संख्याः सामान्य(1)तृतीय/ 293 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
2011-0	2	3	4	रिक्त पद
श्रीमती प्रज्ञा मिश्र,	04.8.2017	इण्टर कालेज सेरसा	नेशनल इण्टर कालेज	के प्रति
世 40310		मथुरा	भरवारी कौशाम्बी	у укт

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५३६६ – 75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

292

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता हः—	25			
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनेक बाबू साहू, स0310	09.5.2022	शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज ओबरा सोनभद्र	कृषक इण्टर कालेज हिनौता कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 43 5 6 - 65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यिमक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

291

/2024-25 दिनांक 🕽 🖒 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्रमणि, स0310	29.3.2012	श्रीमती देवकली इण्टर कालेज जमालपुर मीरजापुर	जिला पचायत इण्टर कालेज उग्रसेनपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4346 - 5 5

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को स्चनार्थ प्रेषित।

- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-
- गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ २० ७

/2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार, स0अ0	01.7.2022	कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैइया बसहा लखीमपुर खीरी	गंगा चरन संधारी लाल इण्टर कालेज बुढवा फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। 4336-45 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्त्रित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा उन्हार अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का अन्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह स्निश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 क जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

/11-1111	Anda An	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	प्रहा रा	1	5
1	2	3	र्भ विकास सदन	रिक्त पद
श्री रमाशंकर राकेश स0अ0	04.8.2010	देवेश्वर राजकुंवर पाण्डेय इण्टर कालेज नवीगंज मैनपुरी	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज लोकमनपुर बरौत हण्डिया प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 43 2 6-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

288

/2024-25 दिनांक 2 छ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

(שומו פּי–			<u> </u>	अभ्युक्ति
	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ का	5
	1	2	3	4	रिक्त पद
	श्री संदीप कुमार, स030	12.7.2017	आर0एस0इण्टर कालेज पुरैया बेवर मैनपुरी	चन्द्रभानु इण्टर कालेज दमापुर फतेहपुर	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

4316-25 पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अभिचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

285

/ 2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमर पाल सिंह, स0अ0	19.05.2017	नेहरू इण्टर कालेज महोबा	जनसेवा इण्टरमीडिएट कालेज मुहीउद्दीनपुर सरायममरेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५२.८६ - 9.5

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(ग्रमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

284

/2024-25 दिनांर्क 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

	122 22			<u>अभूगाचित्र</u>
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रभाशंकर तिवारी, स0310	15.11.2021	आद्या प्रसाद इण्टर कालेज घूस देवघाट	राजाराम किसान इण्टर कालेज डिभयार	रिक्त पद के प्रति
		प्रयागराज	प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५२.७ - ७.५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(प्रभचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक 2 2 आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 263

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश 840 / 15—05—2024—1922(प्रोटी अनमित के संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय स्वापना कार्या क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मन्य उनके तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति 5
1	2	3	4	रिक्त पर
श्रीमती सुमन सिंह, स0अ0	27.7.2017	माता सेवक इण्टर कालेज बैरीबीसा भदोही	ब्वायज इण्टर कालेज सी0ओ0डी0 छिवकी	1, 0
			प्रयागराज	The second

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८६ - ७८

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा पुष्ट कर लाक उपरा स्वामा आप राजा है। संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

त कर। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का 3— संबंधित जिला विधालय माजान साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय सत्यापन विभागाय वबसाइट ए प्राप्त ना नदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज सं भारतक सत्याया पराव के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(-रामचेत) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

282

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

שומו פי–			कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा का	51.314(1
1	2	3	4 	रिक्त पद
श्रीमती अनुराधा रानी मिश्रा, स0अ0	30.6.2011	श्रीमती शुकन्तला देवी यादव कन्या इण्टर कालेज रामनगर मेजा प्रयागराज	सेवा समिति विद्या मन्दिर इण्टर कालेज प्रयागराज	के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५२.५ ६-6.5 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक संत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

281 /2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, स0अ0	01.8.2017	भारत भक्त समाज इण्टरमीडिएट कालेज ब्यौजा बांदा	स्रदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज जलालपुर कस्बा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५२.५६ — ऽऽ /2024—25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । ब्याःसामान्य(1)तृतीय/ 28 ७ (४००४-२५ दिनांक 28 ज

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तूत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ज्ञान सिंह, स०अ०	26.10.2021	किसान इण्टर कालेज विद्यानगर चोला बुलन्दशहर	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टरमीडिएट कालेज लोकमनपुर बरौत हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०.३६- ५८ /२०२४-२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आंशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

279

/2024-25 दिनांक 2.8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

olicii G.			<u> </u>	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	जन्युपरा
1	2	3	4	5
श्री अनुज कुमार मिश्र, स030	06.12.2021	राजा भरत सिंह इण्टर कालेज नांगल बिजनौर	बी०डी०दूबे इण्टरमीडिएट कालेज पहाडपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५० २ ६ - ३ ८

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

332

/ 2024-25 दिनांक 🤈 🧸

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अनुपमा देवी, प्रवक्ता	08.8.2012	वैदिक कन्या इण्टर कालेज दादरी गौतमबुद्वनगर	विद्या मंदिर इण्टर कालेज गांजा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५७५६ - ६५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

331

/2024-25 दिनांक > %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुज कुमार यादव प्रवक्ता	13.5.2017	सर्वोदय इण्टर कालेज लौगपुर इटावा	लाला मनमोहन दास इण्टर कालीज झूंसी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4746-55

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

330

/2024-25 दिनांक 2_8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरिशंकर त्रिपाठी, स0अ0	08.10.2020	मिश्री लाल इण्टर कालेज मवैया मीरजापुर	श्री बृज मंगल सिंह इण्टर कालेज रामपुर करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५७३६ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना स्निश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्प्रमर्चेत) उप शिक्षां निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

329

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
मोहम्मद इरफान उल्ला खान, स0अ0	18.12.2021	श्री मानिकचन्द्र इण्टर कालेज, लाढपुर हाथरस	आदर्श उ०मा०विद्यालय डाहीनुमाया करहेंदा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4726-35 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

328

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार, स०अ०	01.9.2012	लैफ्टी० नाहर सिंह इण्टर कालेज कुआरसी अलीगढ़	आदर्श इण्टर कालेज धीनपुर मऊआइमा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५७१७ - 25

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6— गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

327

/2024-25 दिनांक 2 8 जून, 202

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह, स0अ0	24.12.2021	गोस्वामी तुलसीदास कृषक इण्टर कालेज कोरांव प्रयागराज	से0रा0प0 नेशनल इण्टर कालेज हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५७० - 15

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(ग्रमचंत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

326

/2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दूधनाथ सरोज, स0अ0	13.7.2012	जनता इण्टर कालेज जेवर गौतमबुद्वनगर	राम अंजोर मिश्र इण्टर कालेज लालगंज	रिक्त पद के प्रति
			प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६५६ - ५५०५ / 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(अमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

325

/2024-25 दिनांक 2-8

जुन, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हंसराज, स0310	01.12.2021	एम0पी0पी0इं0का0 बलरामपुर	स्वामी चन्द दास इण्टर कालेज हसवा फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५४ % 6 - 95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

324

/2024-25 दिनांक 🤈 🖔

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार सिंह, स०अ०	11.12.2021	कृषक इण्टर कालेज भौरी चित्रकूट	आर0पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज मलाक हरहर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८१६- ७५ /२०२४-२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित् प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वहीं लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

323

/2024-25 दिनांक 2 B जून, 2024

स्थानांन्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राविल्सन स0अ0	01.7.2006	बाबा हरिपुरी इण्टर कालेज कसावा कन्नौज	आई०के०एम० इण्टर कालेज आनापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६६६ - ७ ४

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

322

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 श्रीमती नीलम भारतीया, स0अ0	2 01.7.2022	3 प्रेमदेवी अग्रवाल गर्ल्स इण्टर काले, मथुरा	4 शारदा देवी इण्टरमीडिएट कालेज	5 रिक्त पद के प्रति
भारताया, राठजंठ	7 -	2 51 411, 13	नौड़िया तरहार प्रयागराज	

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६५६ - ६५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

321 /2024-25 दिनांक 2-6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभिषेक सिंह, स0अ0	09.10.2021	सनातन धर्म इण्टर कालेज हसनपुर मैनपुरी	डा० के०पी०जायसवाल इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६ ५ ६ - ८५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक 2 छ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:–

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अरूण कुमार सिंह, प्रवक्ता	17.8.2009	डी०ए०वी० इण्टर कालेज मुजफ्फरनगर	चौ० शिव सहाय सिंह इण्टर कालेज जयरामपुर फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६ ५ ६ - ५५

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

319

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता	01.5.2019	इण्टर कालेज चन्दावली सम्भल	बाला प्रसाद कुशवाहा इण्टर कालेज बलरामपुर बरेठी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६२६ - ३५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

ातिन निशि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
2	3	4	5
4.7.2022	इन्दिरा बालिका उ०मा० विद्यालय नन्दगंज	सीताराम सिंह इण्टर कालेज बाबूगंज	रिक्त पद के प्रति
	ुक्ति तिथि 2 4.7.2022	2 3 4.7.2022 इन्दिरा बालिका उ०मा०	2 3 4 4.7.2022 इन्दिरा बालिका उ0मा० सीताराम सिंह इण्टर विद्यालय नन्दगंज कालेज बाबूगंज

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६। ६ - 2-5

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2.6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग कुमार, स०अ०	27.11.2021	जय भारत इण्टर कालेज छपार मुजफ्फरनगर	शारदा देवी इण्टर कालेज नौड़िया तरहार प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५६०६-15 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित् प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिवाकर सिंह, प्रवक्ता	01.4.2022	स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज सलारपुर हापुड	श्री सुभाषचन्द्र इण्टर कालेज छीतूपुर बलापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५१६ - ५६०5

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

315

/2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुदीप पाण्डेय, स0310	23.11.2021	किसान इण्टर कालेज अलीपुर खेडी	श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज नैनी	रिक्त पद के प्रति
		मुजफ्फरनगर	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक़(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५७६ – ५५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

314

/2024-25 दिनांक 2 B जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अणायकीय सम्बाध क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 of Anna	2	3	4	5
श्री विश्वजीत कुमार, स0अ0	26.11.2021	जिला पंचायत इण्टर कालेज दोहथा	श्री कृष्ण इण्टर कालेज देवनहरी सहसो	रिक्त पद के प्रति
		प्रयागराज	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५ ७ ७ ८ ८ ८

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का 3— सबाबत जिला पुरुषित । जिला का पूर्व का स्थापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

संबंधित प्रब्रन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

313

/2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	2007
1	2	3	4/61 4/1	अभ्युक्ति
श्री हेमराज, प्रवक्ता	17.1.2009	श्री रामकृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कालेज चांदपुर पटवध आजमगढ	ब्वायज इण्टर कालेज सी0ओ0डी0 छिवकी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८ ६ ५ - ७५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। 4-

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

311

/ 2024-25 दिनांक 2- 8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शशि, स0अ0	19.5.2021	जय सीताराम किसान इण्टर कालेज झिझांन शामली	सरदार बल्ल्भ भाई पटेल इण्टर कालेज जलालपुर कस्बा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५५ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

312

/2024-25 दिनांक <u>)</u> ८ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:--

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीति सिंह, स०अ०	01.4.2022	आर्य कन्या इण्टर कालेज कैराना शामली	पं0 हनुमत्त दत्त त्रिपाठी इण्टर कालेज इस्माइलगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८५ ६ - ७५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डांक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(-रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

491

/2024-25 दिनांक 2 B

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री केदार कुमार पासवान, प्रवक्ता	22.10.2016	श्री बंश गोपाल इण्टर कालेज रसूलपुर लदिगवा फतेहपुर	ईश्वर शरण इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6346 - 55

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक्।

6- गार्ड पत्रावली।

(रॉमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 🤈 🖧

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

all the C.			<u> </u>	200711-
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुभाष चन्द्र,	19.4.2017	जनतन्त्र इण्टर कालेज कुलपहाड महोबा	गोमती इण्टर कालेज फूलपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति
प्रवक्ता		3	6 0	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 6336 – 45 /2024–25 तदिनाक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

400 9

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नीति वर्मा, स0अ0	15.11.2021	भगवती प्रसाद ओमर बालिका इण्टर कालेज	नगर पालिका नेहरू इण्टर कालेज बिन्दकी फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6326-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

483

/2024-25 दिनांक 🤈 🕱

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सविता कुमारी, प्रवक्ता	03.9.2012	जनता कन्या इण्टर कालेज शिवपुरी खतौली, मुजफ्फरनगर	विशष्ठ सेवा संध इण्टरमीडिएट कालेज महेवा कला नहवाई प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6316-25 / 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय.उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

487

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मंजीत कुमार वर्मा, प्रवक्ता	23.2.2021	एम0जी0एच0एम0इण्टर कालेज मारहरा एटा	बृजेन्द्रमणि इण्टर कालेज कोहडौर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6306-15

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अर्मचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 दिनांक 🤈 😘 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

		<u> </u>	-
नियक्ति तिथि	कहाँ से	कहा की	अभ्युक्ति
11314111111	3	4	5
2	0	न्याच्या नाम्य कालेज	रिक्त पद
15.2.2021	सरयू प्रसाद सिंह		के प्रति
	इण्टर कालेज आमीपुर	3 , , -	क्रिश्रात
1		सरायममरेज प्रयागराज	
	नियुक्ति तिथि 2 15.2.2021	2 3	2 3 4 15.2.2021 सरयू प्रसाद सिंह जनसेवा इण्टर कालेज इण्टर कालेज आमीपुर मुहीउद्दीनपुर

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6 296 - 63 05

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

465

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विश्वदीप मिश्र, स0अ0	04.12.2021	रधुवीर सिंह किसान इण्टर कालेज	भगवानदीन दुबे इण्टर कालेज पहाडपुर	रिक्त पद के प्रति
(10010		सिम्भावली हापड	प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6286-95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक) %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कमलेन्द्र प्रकाश द्विवेदी, स०अ०	01.7.2009	चन्द्रशेखर आजाद इं0का० गैनी बरेली	अवधेश इं०का० धारूपुर प्रतापगढ	रिक्त पद ं के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ६२,७५ /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

८७ । स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 2 **३** जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार, स0अ0	23.12.2021	श्री ठाकुर जी महराज इण्टर कालेज हेरवल हरदोई	जनता इण्टर कालेज इमामगंज बरौत प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6446 - ऽ८

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

500

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूनम यादव, स०अ०	29.11.2021	मूलचन्द इण्टर कालेज सैनपुर परासौली मुजफ्फरनगर	विद्यावती यादव स्मांरक महर्षि कृषक इण्टर कालेज हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6436 - 45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

499

/2024-25 दिनांक 🥦 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजमणि, स0अ0	20.10.2021	वैदिक इण्टर कालेज मुजफ्फराबाद सहारनपुर	पब्लिक इण्टर कालेज मोतिहा हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6426-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

498

/2024-25 दिनांक 2 6 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाता है:-			कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4/61 4/1	5
1	2	भी मन्मानंत्र सार्व	मोती लाल नेहरू इण्टर	रिक्त पट
श्रीमती ऋतम्भरा दुबे,	28.11.2018	श्री परमहंस इण्टर कालेज देवपुर हनुमान	कालेज कौधियारा	के प्रति
स0अ0		नगर आजमगढ	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6416 - 25 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा उ. संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

497

/2024-25 दिनांक **2 8** जून,

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आकांक्षा पाल, प्रवक्ता	15.9.2022	दिगम्बर जैन कन्या इण्टर कालेज कैराना शामली	इण्डियन गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6406 - 15

/ २०२४–२५ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

496

/ 2024-25 दिनांक 2 द जून, 2024

ल

तु

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अलका यादव, स0अ0	01.12.2021	बी०एन०बी०इण्टर कालीज मडियाहूँ जौनपुर	लाला मनमोहन दास इण्टर कालेज झूंसी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 639 %- 6405 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

495

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री स्नेह प्रकाश, स0अ0	17.3.2012	श्री राधा कृष्ण इण्टर कालेज तलपुरवा सिद्वार्थनगर	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंतरसण्ड प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 6366 - 95 /2024-25 तदिनाक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

किये

-25 ज. रये

न,

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

494

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुभव जायसवाल, प्रवक्ता	06.7.2019	मधुसूदन विद्यालय इण्टर कालेज	डा० के०पी०जायसवाल इण्टर कालेज	रिक्त पद के प्रति
		सुलतानपुर	मुठ्ठीगंज प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6376-85

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

493

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बलवन्त सिंह पटेल, स0अ0	22.8.2019	राधा कृष्ण गुप्त आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज दिलदारनगर गाजीपुर	शिवाजी इण्टर कालेज नेवादा कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 63 6 6 -75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

492

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
2	3	4	5
19.4.2010	श्री जे0पी0शर्मा इण्टर कालेज बबेरू बांदा	के00पी0 इण्टरमीडिएट	रिक्त पट के प्रति
	नियुक्ति तिथि 2 19.4.2010	2 3 19.4.2010 श्री ज्ं0पी0शर्मा इण्टर	2 3 4 19.4.2010 श्री जे0पी0शर्मा इण्टर के00पी0 इण्टरमीडिएट

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 6356 - 65

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

507 /2024-25 दिनांक **2**%

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5 रिक्त पद
श्री संजय यादव, स0310	15.11.2021	श्री मलिखान सिंह इण्टर कालेज कुरावली मैनपुरी	श्री कालिका सिंह इण्टरमीडिएट कालेज मोहनगंज प्रतापगढ	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। 6506-15 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख

स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

506

/2024-25 दिनांक 2-8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रतन कुमार सिंह, स0अ0	01.12.2021	एस०एम०एम०जे०सी०इण्टर कालेज खुर्जा बुलन्दशहर	रानी राजेश्वरी कुमारी इण्टर कालेज दिलीपपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७५१६ – ७५ ०५

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

565

/ 2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया ज्ञाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका मौर्य प्रवक्ता	13.7.2022	श्री तुलसी इण्टर कालेज राजापुर चित्रकूट	डी0पी0गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । 6486-95 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

504 /2024-25 दिनांक जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	<u> </u>		
1	गगुपता तिथ	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
श्री गमोन काम	2	3	4	5
श्री प्रमोद कुमार स0अ0		जनता उ0मा0वि0 नं0 जंगली नैनूपटटी मथुरा	श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम खेरहटखुर्द	रिक्त पद के प्रति
		-	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6476-85'

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 🤈 💃

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश कुमार सिंह, स0310	01.8.2017	जिला पंचायत उ०मा० विद्यालय उदी इटावा	जमुना पार इण्टर कालेज अमरेहा जसरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6466 - 75

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

502

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विमलेश कुमार आनन्द, स0अ0	20.11.2021	श्री भागवत राष्ट्रीय इण्टर कालेज पटियाली कासगंज	श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज लोहगरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ६५ ८६ - ६५ /२०२४-२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

509

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री इन्द्रभान पटेल, स0अ0	19.8.2017	श्री भगवती विद्यालय इण्टर कालेज मुरामऊ रायबरेली	तिलक महाविद्यालय इण्टर कालेज कोटवा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6526-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

27 6

/2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राम प्रसाद, स0310	28.2.2019	तपसी इण्टर कालेज सेमरहना श्रावस्ती	राजाराम इण्टर कालेज हरदों फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५२/ ५ - 25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

277

/2024-25 दिनांक 2 8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5 Dec 113
श्री अनिल कुमार पटेल, स0अ0	21.4.2022	जागृति इण्टर कालेज सूरतगंज बाराबंकी	श्री लाल बहादुर शास्त्री उ0मा0 विद्यालय बसहरा तरहार प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4206-15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तिरत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तिरत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तिरत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण – पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तिरत विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी: –

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

स्निश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

27 6

/2024-25 दिनांक 2 प्र जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ओम प्रकाश सिंह, स0अ0	07.4.2012	पार्वती राष्ट्रीय इण्टर कालेज सिद्वपुर कासगंज	राम कृपाल सिंह राष्ट्रीय हा0से0स्कूल टिकरी हनुमानगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५। १७ - ५ २७५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

275

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

Oll(II G.			<u> </u>	्राण्या देख
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	अभ्युक्ति
1	2	3	4	ठ रिक्त पद
श्रीमती वीनू सिंह, स0अ0	10.12.2021	डी०ए०वी० इण्टर कालेज जानसठ मुजफ्फरनगर	फतेह बहादुर इण्टरमीडिएट कालेज हीरागंज ऐंधा प्रतापगढ	के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५१६ ७ - 95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

274

/2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार, स0अ0	29.3.2012	भदॉव इण्टर कालेज थलईपुर मऊ	श्री सुभाष चन्द्र इण्टर कालेज छीतूपुर बलापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५।७ ५ - 85

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

273

/ 2024-25 दिनांक

0 जून, 2024

Ħ,

क

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ० संतोष कुमार शुक्ल, प्रधानाचार्य	07.7.2022	वैदिक टेक्नीकल एवं औद्योगि क इण्टर कालेज दिबियापुर औरैया	लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज धरवारा करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५१६६ ७७५ /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्श्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0−3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

272

/2024-25 दिनांक ८ %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	. 2
श्रीमती कल्पना गुप्ता, प्रवक्ता	23.11.2021	श्री कृष्ण जाजू कन्या इण्टर कालेज डिबाई	श्री लाल चन्द्र इण्टर कालेज जसरा	रिक्त पद के प्रति
		बुलन्दशहर	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५/५ ६ - ५.५

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

2 1 / 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	* 3	4	5
श्रीमती इन्दु वर्मा, स0अ0	22.4.2021	भगवती प्रसाद ओमर बालिका इण्टर कालेज बांदा	केसर विद्यापीठ इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / ५१५६ - ५८

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अर्मचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

27 0 /2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार पुष्पकार, प्रवक्ता	25.4.2017	श्री भगवती विद्यालय इण्टर कालेज मुरारमऊ रायबरेली	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्यायीपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

4136 - 45 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(श्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । ब्याःसामान्य(1) तृतीय / 2 6 % /2024–25 दिनांक 2 %

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2-6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कीर्ति सिंह, स0अ0	19.6.2017	उ0मा0विद्यालय सेलमऊ सीतापुर	आदर्श इण्टर कालेज जूडापुर बीहर दहियावा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५११६ – 25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

269

/2024-25 दिनांक 2 6 जून, 202

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5.
श्री शिवाकान्त प्रताप सिंह, प्रवक्ता	15.10.2016	डी०ए०वी० इण्टर कालेज बांदा	महेश्वरी प्रसाद इण्टर कालेज आलमचन्द्र कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५१२ ६ - 35

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।
2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्विश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

267.

/2024-25 दिनांक 2 कि

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कुमार, प्रवक्ता	05.12.2016	डी०ए०वी० इण्टर कालेज बांदा	पब्लिक इण्टर कालेज मोतिहा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५।०6-15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित, जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह स0310	09.2.2021	पं0देव कृष्ण इण्टर कालेज सगवर उन्नाव	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज भीरपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4096-4105

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

265

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
0A - A - A	2	3	4	5
श्री कपिल देव स0310	27.8.2019	जन विजय इण्टर कालेज कुर्डी नांगल	ईश्वर शरण इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति
		बागपत		

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 4086-95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

264

/2024-25 दिनांक 2_8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेन्द्र प्रताप बहादुर सिंह, स0अ0	15.2.2014	श्री चन्दनलाल नेशनल इण्टर कालेज कांधला शामली	लाला जंगीलाल इण्टर कालेज कोहडार मेजा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०७ ६ - ८ ८

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

263

/2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता हः- नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	रिक्त पद
कु0अर्चना जायसवाल, स0अ0	05.5.2021	श्री राधाकृष्ण उ0मा0वि0 जौनाई मथुरा	सेवा समिति विद्या मंदिर इण्टर कालेज प्रयागराज	के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५० ७७ - ७५ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

262

/ 2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रदीप कुमार सरोज, स0अ0	18.11.2010	श्री दीपचन्द्र इण्टर कालेज नौगवां हाथरस	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्यायीपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०५६ – ६८

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(सम्चित) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

261

/2024-25 दिनांक 2 &

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मोहन लाल प्रजापति, स0अ0	22.4.2021	सर्वोदय इण्टर कालेज घटावन नूनीखेडा मुजफ्फरनगर	सरस्वती सदन इण्टर कालेज मर्रो हरिपुर मर्रो हण्डिया प्रयागराज	्रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५७५६ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर सीानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। सीीनान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख सीीनान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह सीानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(ग्रमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

260

/2024-25 दिनांक 2_8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सौरभ त्रिपाठी, स0अ0	09.12.2021	नेहरू स्मारक इण्टर कालेज मटौरा मवाना मेरठ	ईश्वर शरण इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०३७ - ५८

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6— गार्ड पत्रावली।

(्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

259

/ 2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	'कहॉ को	अभ्युक्ति
1	2	. 3	4	5
श्री फूलचन्द्र सरोज, स०अ०	24.8.2012	वैदिक इण्टर कालेज कुरमाली शामली	पी०बी०इण्टर कालेज एवं अ०सा०हाईस्कूल प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०२ ६ -3-5

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज। कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । ब्याःसामान्य(1)ततीय/ ३७७ ७ /२०२४–२५ दिनांक २.६ ज

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:- नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
ी श्रीमती आरती सिंह, स0अ0	2 22.11.2021	3 महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इण्टर कालेज फिरोजाबाद	4 इलाहाबाद इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । 4506-15 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

306

/2024-25 दिनांक 2b

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	` \		
1	ग्नुपरा ।ताथ	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
शी चार राज्य	2	3	4	5
श्री ज्ञान प्रकाश , स०अ०	29.11.2021	इण्टर कालेज जटपुरा मुकीमपुर बुलन्दशहर	डा० के०पी०जायसवाल इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५१६-५५०५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक / 2024-25 तददिनांक। को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

305

/ 2024-25 दिनांक . 2 6 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4 .	5
श्री मनोज प्रताप सिंह स0अ0	01.12.2021	जनता इण्टर कालेज हरसौली मुजफ्फरनगर	मंगला प्रसाद इण्टर कालेज बामपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५७७ – 95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

ı— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धंक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2_b

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

inai e				अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा की	अन्युपरा
1	2	3	4	5
श्री विकास कुमार, स०अ०	01.12.2021	श्री ताराचन्द्र इण्टर कालेज शिवाजी कानपुर देहात	गंगाचरन सधारी लाल इण्टर कालेज बुढवा फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

4476-85 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

्र गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

302 /2024-25 दिनांक 2-B

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जगदीश मौर्य, स0अ0	20.4.2021	वालविन इण्टर कालेज महमूदाबाद सीतापुर	मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज कौंधियारा	रिक्त पद के प्रति
			प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५७७ - 75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

362

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नीलम यादव, स0अ0	17.11.2021	श्री स्वामी सर्वानन्द इण्टर कालेज नगला पैज परियर फिरोजाबाद	इण्डियन गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५५६ - ५5

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

301

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अरूण कुमार कुशवाहा, स0अ0	29.10.2021	खैर इण्टर कालेज खैर अलीगढ	जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज जारी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५५६ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

300

/2024-25 दिनांक 2 छ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय सिंह, स0अ0	25.8.2017	आदर्श इण्टर कालेज बडगांव सहारनपुर	सेवा समिति विद्या मंदिर इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५३६-५८

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निनिश्चित करें।

- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(र्मिचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/2024-25 दिनांक 2 🖔 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवंक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शैलेन्द्र कुमार, स0310	03.7.2017	सर्वोदय इण्टर कालेज किशनपुर फतेहपुर	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५२.६-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

292

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथिं	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार गौतम, स0अ0	22.11.2021	समर सिंह इण्टर कालेज रामपुरा जालौन	श्री भगवादीन सिंह इण्टर कालेज शम्भूचक डोहरिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५१६ - 25

/ 2024–25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सुचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःंसामान्य(1)तृतीय/

253

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कुमारी अमिता श्रीवास्तव, स0अ0	01.12.2021	जे०जे०इण्टर कालेज सुलतानपुर चिलकाना सहारनपुर	स्वामी चन्द्र दास इण्टर कालेज हसवा फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 3 9 6 6 - 75 / 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आश्रय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेत् अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

252

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

outil 6.—	10000		कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	पाठा पा	- 3
1	2	3	4	5
श्री कंचन कुमार श्रीवास्तव, स०अ०	05.3.2011	राम सजीवन लाल इण्टरमीडिएट कालेज खमरिया संत रविदास नगर भदोही	चन्द्र शेखर आजाद इण्टरमीडिएट कालेज बगईखुर्द प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

3956 - 65 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

310

/2024-25 दिनांक 2 & जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0वन्दना देवी स0अ0	07.12.2021	आर्य कन्या इण्टर कालेज सहारनपुर	वशिष्ठ सेवा संध इण्टरमीडिएट कालेज महेवा कला नहवाई प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५७६ - ५५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

्रर्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

309

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमांर, स0अ0	15.11.2022	राम आधार यादव इण्टर कालेज रसूलपुर जौनपुर	रामस्वरूप भारती इण्टरमीडिएट कालेज सुन्दरगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 45 26 - 35

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

258

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ज्योति वर्मा, स0अ0	13.10.2021	जे०पी०आर०एन० अमर इण्टर कालेज जाजमऊ	करारी इण्टरमीडिएट कालेज करारी कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति
		कानपुर	*	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०। ५ - २५

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

√रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

300

/ 2024-25 दिनांक 2 ह जून, 2024

9

24

ने वं

में

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इंग्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पंत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	. 5
श्री अनिल कुमार सिंह स0310	25.11.2021	गंगा खण्ड इण्टर कालेज खेडा	फतेह बहादुर इण्टरमीडिएट कालेज	रिक्त पद के प्रति
		दयालनगर अलीगढ	हीरागंज ऐंधा प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 451 6 - 25

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तिरत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तिरत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तिरत विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोंपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज्।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५५०

/2024-25 दिनांक 2

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कमलेश	01.12.2021	श्री राधा कृष्ण इण्टर	शिवाजी इण्टर कालेज	रिक्त पद
कुमार यादव, प्रवक्ता		कालेज हसनपुर मथुरा	सहसो प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7346-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

541

/2024-25 दिनांक 20

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

	1
जाता	ह:−

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्त
1	2	3	4	रिक्त पद
श्रीमती मनोरमा, प्रवक्ता	08.10.2016	डी०ए०वी० इण्टर कालेज ऊन शामली	पी0बी0इण्टरमीडिएट कालेज एव अजीत सार्वजनिक हाईस्कूल प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 735%-65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

542

/2024-25 दिनांक 2_8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रंजना सिंह, स0अ0	16.11.2021	बालका उ०मा०विद्यालय बालका बुलन्दशहर	शिवाजी इण्टर कालेज पटेल नगर खेरहट खुर्द	रिक्त पद के प्रति
		1000 P	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 73 66 -75

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

572

/2024-25 दिनांक **2 b**

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	' अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विमलेश कुमार, ७ ११ ६, स०अ०	17.8.2019	श्री जवाहर इण्टर कालेज बामनौली बागपत	हनुमत इण्टरमीडिएट कालेजङ्ग कालाकांकर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7666 - 73

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय.उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

573

/2024-25 दिनांक 2%

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शैलेश कुमार शुक्ल, स0अ0	11.8.2017	आई०जी०इ ण्टर कालेज ताल्हापुर सहारनपुर	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज भीरपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7616 - 85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0–3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

571

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, स0अ0	26.9.2022	श्री गांधी सार्वजनिक इण्टर कालेज जैथरा एटा	आदर्श इण्टर कालेज जूडापुर बीहर दहियावा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7 656 - 65

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत दी जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

570

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सूर्य मणि पाण्डेय, स०अ०	01.3.2021	श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमाला जुड बागपत	से0रा0प0नेशनल इण्टर कालेज हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7646-55

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

569

/ 2024-25 दिनांक 🦫 😘

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया ज्ञाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूजा जायसवाल, स०अ०	10.10.2013	जिला पंचायत इण्टर कालेज पश्चिम शरीरा कौशाम्बी	इलाहाबाद इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7636-45 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्त्रित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

563

/2024-25 दिनांक 2-6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि			
1 श्रीमती सुधा कुमारी, स0310	मानुष्या ।ताथ	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
	23.11.2021	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज पिपरा मदन गोपाल देवरिया	इलाहाबाद इण्टर कालेज इलाहाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7626-35

/ 2024–25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

567

/2024-25 दिनांक 1_8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ह.—	0 0 00		कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ स	4701 471	5
1	2	3	4	रिक्त पद
श्री अरूण कुमार सिंह, प्रवक्ता	15.7.2009	प्रेम महाविद्यालय इण्टर कालेज वृन्दावन मथुरा	श्री महाबल सिंह इण्टर कालेज लेहडी मेजा रोड प्रयागराज	के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/ 2024–25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 76/6-25 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित् प्रधान्/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

स्निश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

566

/2024-25 दिनांक 2 🖔 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री महेश कुमार, स0अ0	20.5.2021	किसान उपकारक इण्टर कालेज भवालपुर सम्भल	चौ0 रामेश्वर सिंह शिव बालक सिंह इण्टर कालेज बेलाई फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7606 - 15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

565

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
11	2	3	4	5
श्री विनीत सिंह, स0अ0	29.11.2021	बरेली कालोजिएट मॉडल हायर सेकेन्ड्री स्कूल बरेली	के०पी०हिन्दू इण्टरमीडिएट कालेज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ $7 \le 96 - 7605$ /2024—25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामुळेतं) उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

564

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:--

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
. 1 .	2	3	4	5
श्रीमती सुधा शुक्ला, स0अ0	13.5.2021	ए०एच०पी० इण्टर कालेज छुटमलपुर सहारनपुर	इण्डियन गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ १५८५-१५

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा अं संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापंक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

254

/ 2024-25 दिनांक

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शिवकुमार सिंह पटेल, स0310	01.10.2010	राष्ट्रीय इण्टर कालेज शबगा बागपत	मंगला प्रसाद इण्टर कालेज बामपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 3976- 85

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

स्निश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

255

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से		
1	2	पग्हा स	कहाँ को	अभ्युक्ति
offer Andre	2	3	4	5
श्रीमती विद्योत्तमा	11.6.2021	श्री सुशील चन्द्र मीतल	माधव इण्टर कालेज	रिक्त पद
कुमारी, स0310		इण्टर कालेज गौमत	सरस्वती आश्रम बमैला	के प्रति
		अलीगढ	हण्डिया प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 3966-95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

256

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:--

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेन्द्र सिंह, स0अ0	16.9.2010	अखण्ड इण्टर कालेज कबरई महोबा	श्री हनुमान इण्टर कालेज अजुहा कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

3996-4005 / 2024–25 तददिनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (प्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
	1 श्री राजेन्द्र कुमार, स्मान्यव	2 20.12.2011	3 सनातन धर्म इण्टर कालेज हसनपुर मैनपुरी	4 स्व0 डॉं0 सत्यनारायण भारती विद्यालय	क प्रात
1	4030		कालज हसनपुर ननपुरा	हा०से०स्कूल फतेहपुर	70

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५०० ६- 15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा अंस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(अभचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

57 4

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रंजीत त्रिपाठी, स0अ0	07.9.2011	श्री लक्ष्मण प्रसाद इण्टर कालेज वीरभद्रपुर करियांव भदोही	चन्द्रशेखर आजाद इण्टरमीडिएट कालेज परमेश्वरपुर करूआडीह प्रतापपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 7686-95 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

575

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार त्रिपाठी, स0अ0	10.8.2019	कृषक इण्टर कालेज कल्लूडीह कुशीनगर	सरदार भगत सिंह इण्टर कालेज सैदाबाद प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7696-7765 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4— संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

576

/2024-25 दिनांक 2% जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	.5
श्री अशोक कुमार, स0अ0	22.3.2018	श्री सिद्धनाथ इण्टर कालेज सिधवल रतनपुरा मऊ	शिवाजी इण्टर कालेज सहसो प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7706- 15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तिएत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

577

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
L	1	2	3	4	5
	श्री राहुल मिश्र, स0अ0	04.12.2021	जवाहर इण्टर कालेज शीतलकुण्डा किरावली	रामस्वरूप भारती इण्टर कालेज सुन्दरगंज	रिक्त पद के प्रति
			· आगरा	प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७७ । ६ - 25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

578

/2024-25 दिनांक 2 🌡 उ

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रंजना सिंह पटेल, स0अ0	25.11.2021	श्री बेनी माधव तिवारी इण्टर कालेज आटा जालौन	श्रीमती शकुन्तला देवी यादव कन्या इण्टर कालेज रामनगर मेजा प्रयागराज	श्रीमती अनुराधा मिश्रा, स030 के स्थानान्तरण से - रिक्त होने वाले पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 772 6-35

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

579

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	ं अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत सिंह यादव,स0अ0	03.8.2017	गांधी इण्टर कालेज कोरारी लच्छनशाह अमेठी	जनसेवा इण्टर कालेज मोहउद्दीनपुर सराय ममरेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 7726-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस औशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख प्रधानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुतार कार्यावा का जान ता. 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।
2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी
पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा
संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।
3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रविश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं सुनिश्चित करें कि तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

(शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

560

/2024-25 दिनांक ₂₋9

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 श्री राममिलन, स0310	2	3	4	5
	30.10.2021	उ0मा0विद्यालय बरवाला बागपत	बापू इण्टर कालेज रेहुआ लालगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७७ ६ - ५ /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्त्रित् प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

521

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग श्रीवास्तव, स0अ0	28.7.2017	किसान इण्टर कालेज ताहरपुर अमरोहा	पब्लिक इण्टर कालेज मोतिहा हण्डिया	रिक्त पद के प्रति
			प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7756-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचैत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

582

/2024-25 दिनांक 2 क जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ह:-			V	
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मंजुला, स0अ0	07.12.2021	सार्वजनिक इण्टर कालेज चौरंगाहार वाह	गौरी पाठशाला इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति
		आगरा		

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

77 66-75 / 2024-25 तददिनांक। पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

583

/2024-25 दिनांक 2 %

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के

क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
0 1 - 1 - 0	2	3	4	5
श्री नदीम वारिस, स0अ0	09.4.2012	धाता इण्टर कालेज धाता फतेहपुर	जनता इण्टर कालेज गाजीपुर फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7776 - 65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

564

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती विजयनन्दिनी, स0अ0	02.2.2021	सनातन धर्म इण्टर कालेज हसनपुर मैनपुरी	बी०एस०उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	रिक्त पद के प्रति
		6000 SAMOU	मदाफरपुर प्रतापगढ	

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7786-95 /2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

565

/2024-25 दिनांक 2.8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्न्लिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम 1	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
श्रीमती पूजा वर्मा, स0310	02.12.2021	3 श्री नारायण प्रसाद शाही आदर्श इण्टर कालेज बरियारपुर देवरिया	4 मन्ना लाल दीक्षित इण्टर कालेज कोराई फतेहपुर	5 रिक्त पर के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7796-7605

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतुं अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

586

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेखा पटेल, स०अ०	28.7.2017	लवकुश इण्टर कालेज ततारपुर हाथरस	सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज भीरपुर करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 78 66 👭

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

587

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विवेक कुमार मिश्र, स0अ0	01.12.2022	श्री शंकर इण्टर कालेज नानपारा बहराइच	श्री सुभाष चन्द्र इण्टर कालेज छीतूपुर बलापुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 78!6-25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

58 B

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संध्या देवी, स0अ0	19.8.2017	जनता कन्या इण्टर कालेज शिवपुरी, खतौली मुजफ्फरनगर	श्री निरंकारी बालिका इण्टर कालेज फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7626-35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना. सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

569

/2024-25 दिनांक 2_0 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार, स0310	17.4.2021	श्री बेनी माधौ अग्निहोत्री इण्टर कालेज ठिया कन्नौज	श्री राम प्रताप इण्टर कालेज सिरसा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7836-45

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

50 0 /2024-25 दिनांक 2 6

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विकास द्विवेदी, स0अ0	16.9.2023	जनता इण्टर कालेज खुरहण्ड बांदा	कालूराम इण्टर कालेज शीतलागंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 7846 35

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानांचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

251

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार, स0310	14.12.2010	जनता इं0का0 कुण्डेश्वर इटावा	इन्दिरा गांधी इं0का0 जाम्हा मऊआइमा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

3946-55 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

508

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 of a t	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार, स0अ0	08.8,2012	आदर्श इण्टर कालेज कुसुरुखुर्द	श्री ब्रम्हचारी इण्टरं कालेज तिल्हापुर	रिक्त पद के प्रति
		संतकबीरनगर	कौशाम्बी	

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 6516-25

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

639

/2024-25 दिनांक 28

८ जून, 202

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नरेन्द्र सिंह, स०अ०	10.12.2021	वली मौ0 सेवक समाज उ0मा0विद्यालय कुमथल सम्भल	धाता इण्टरमीडिएट कालेज धाता फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8346-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आवेश संख्याःसामान्य(1)वृतीय/

592

/2024-25 विनांक 5 S

रथानान्तरण आवेश

जत्तर प्रवेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर गाध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर चनके नाम के राम्पुख रतमा-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पवनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उमा तिवारी, स0अ0	25,11,2021	महन्त त्रिवेणी पर्वत इण्टरमीडिएट कालेज बिसुनपुरा बाजाद देवरिया	विद्यावती दरबारी बालिका इण्टर कालेज लूकरगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश।

पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7876-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेपित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यभुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित त्ररंत ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाग अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सुचनार्थ प्रेपित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संरतुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विमागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य । 4-

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०.

प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

592

11

/2024-25 दिनांक 2 %

स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1 श्रीमती सुमन स0अ0	2	3	4	5
	23.12.2021	आर्य कन्या उ०मा०वि० पीलीभीत	सेवा समिति विद्या मंदिर इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7866-75

/ 2024–25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्ररंत जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा न संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली।

(प्रमचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

5 011

/2024-25 दिनांक 2), जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विष्ठित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ६.–			कर्म को	अभ्यक्ति
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहीं की	5
1	2	3	4	रिक्त पद
श्रीमती सबीहा सिद्दीकी, स0अ0	04.12.2021	गांधी राधा बालिका इण्टर कालेज रविन्द्रपुरी वाराणसी	विद्यावती दरवारी बालिका इण्टर कालेज लूकरगंज प्रयागराज	\

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7656 - 65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

596

/2024-25 दिनांक 2 8

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया

जनके नाम के सम्मुख जाता है:- नाम/पदनाम 1 श्री अर्जुन सिंह, स030	नियुक्ति तिथि	कहाँ से 3 मोहन इण्टर कालेज लाखनमऊ मैनपुरी	कहाँ को 4 श्री लाल बहादुर शास्त्री उ0मा0विद्यालय बसहरा तरहार प्रयागराज	उम्युपरा 5 रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७९०६ - 15 /2024-25 तददिनांक। प्रातिलिप निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सूचनार्थ प्रेषित। संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय सुनिश्चित करें। प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आघार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य । 4-

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

595

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पंकज कुमार, स0अ0	10.12.2021	श्री गांधी राष्ट्रीय इण्टर कालेज पुरदिलपुर हाथरस	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्यायीपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7896-7905

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

तथा तथावत के विरुद्ध विवास अवर्थन दुर्गार 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।
3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

८९५ /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रतिभा, सoअo	25.11.2021	डी०ए०वी० इण्टर कालेज किशनपुर बरांल बागपत	बी0डी0दूबे इण्टर कालेज पहाडपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7886-95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नितिखत को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यमार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अतिम वंतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5— सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

597

/ 2024-25 दिनांक 2 &

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नतिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5
श्री काशी नारायण मिश्र, प्रवक्ता	29.9.2007	चित्रकूट इण्टर कालेज कवीं चित्रकट	लोकमान्य तिलक इण्टर कालेज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7916-25

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

628 स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 2 0

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनोद कुमार सरोज, स0अ0	01.9.2012	दयानन्द इण्टर कालेज इटैली मऊ	मोती लाल नेहरू इण्टर कालेज जमुनीपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

त संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8 33 6 — 4.5 /2024—25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

590

/2024-25 दिनांक 2 % जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभिनव स०अ०	06.12.2021	बापू इण्टरमीडिएट कालेज रेहुआ लालगंज प्रतापगढ	सीताराम सिंह इण्टर कालेज बाबूगंज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पुष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७१६५३५

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)ततीय/

637

/2024-25 विनांक 2 %

जुन, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यभिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ६:–			ter Year	अभ्युक्ति
नाम / पदनाम	नियक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	31.4
1117 44.111	113111111	9	4	5
1	2		एस०ए०वी०इण्टर	रिक्त पद
श्रीमती निगहत बेगम, स0अ0	29.12.2021	स्वामी कृष्णनंद इण्टर कालेज जलाली अलीगढ	कालेज सैनी सिराथू कौशाम्बी	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

8326-35

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय त्रारंत को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

599

/2024-25 दिनांक 2 8

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश 840 / 15-05-2024-1500(122) संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहागता पार क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता /अध्यापक व्याप पर प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मन्त उत्तर में उनके नाम के सम्मन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है—

जाता है:-			कहाँ को	31.314
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4	रिक्त पद
1	2	3 श्री हंस इण्टरमीडिएट	फिरोज गांधी हायर	\
श्री विजय कुमार द्विवेदी, स0अ0	27.9.2023	श्री हस इंग्टरनाउ५७ कालेज मुरादनगर गाजियाबाद	सेकेण्डरी स्कूल गोठी बेलसारा प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 1936 - ५५ /२०२४-२५ तददिनाक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0.

प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

636

/2024-25 दिनांक **L**g जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

गता है:−			कहाँ को	अभ्यक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा पर्रा	5
1	2	3	सर्वोदय शिक्षा सदन	रिक्त पद
श्री पवन कुमार स0अ0	03.12.2021	बी०ए०वी० हायर सेकेण्ड्री स्कूल अटौरा नंगला फिरोजा मोहनपुर गाजियाबाद	इण्टर कालेज भीरपुर करछना प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8316- ८५ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त त्ररंत दी जाय। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निवेशक(भा0-3) शिक्षा निवेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

600

/2024-25 दिनांक 2 8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निर्जी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्म-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रमाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अम्युक्त
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रिंयका यादव, स0310	01.12.2021	जनता इं0का0 परसौना एटा	लाल बहादुर शास्त्री इं0का० चायल कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। 7946- 55 पृष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रचान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। येंदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(ग्रमचित) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

625

/2024-25 दिनांक **ो**

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तृत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आलोक शुक्ल, स0अ0	06.12.2003	ग्रामौद्योगिक इण्टर कालेज अशोक नगर भरसंवा फतेहपुर	पं0दयाशंकर इण्टर कालेज भैसौली फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। 8306-15 पष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। 4-

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचीत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक 2 %

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश 840 / 15-05-2024, 1000(वर्ष) संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के कम में अशासकीय सहाराह्य का क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निलिखत संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक वालेज स्वांत्र पाध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्निलिखत संरथा प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मन्त उत्तर म उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

जाता है:-

	. 2	कहा का	5
नियुक्ति तिथि		4	रिक्त पद
2	3	आई०के०एम०इण्टर	के प्रति
22.4.2021	आक्रुर जा कृत्या	कालेज आनापुर	
		2 3 22.4.2021 आक्रुर जी कन्या पाठशाला इण्टर	2 3 22.4.2021 आक्रुर जी कन्या आई०के०एम०इण्टर कालेज आनापुर

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

8296-8305 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख सूचना निदेशालय को स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

601

/2024-25 दिनांक 2 **%**

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया अभ्यक्ति

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अम्युपरा
1	2	3	4	रिक्त पद
श्री मान सिंह, स०अ०	20.8.2010	महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज सौख, मथुरा	चौ० रामरूप सिंह धनराज इण्टर कालेज धाता फतेहपुर	4-4

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

7956-65 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

622

/2024-25 दिनांक 26

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अमिता, स0अ0	02.12.2021	श्री फकीर चन्द्र आर्य कन्या इण्टर कालेज बढापुर बिजनौर	केसर विद्यापीठ इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8276-85

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

दापुर ने के

कल न्दी. गीठ में में

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

63.3 /2024-25 दिनांक 2 के

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नितिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ0 निरंजन कुमार सिंह, प्रधानाचार्य	31.8.2019	श्री रामगोपाल त्रिपाठी इण्टर कालेज विजयीपुर फतेहपुर	लाला मनमोहन दास इण्टर कालेज झूंसी प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 8286-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

प्रयागराज।

आदेश संख्याः सामान्य(1)तृतीय/

602

/2024-25 दिनांक ? क्र

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

ग है:-	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्याक्त
नाम / पदनाम	2	3	4	रिक्त पर
, श्री राजेश कुमार त्रिपाठी,प्रवक्ता	26.11.2021	जनता इण्टर कालेज पलडी बागपत	बीoडीoदुबे इण्टर कालेज पहाडपुर प्रतापगढ	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7966-75 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक 28

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

517

जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:- नाम/पदनाम 1 श्री फूलचन्द्र, स030	नियुक्ति तिथि	कहाँ से 3 जनता इण्टर कालेज कांटा चन्दौली	कहाँ को 4 सरदार बल्लभ भाई पटेल इं0का० जलालपुर कस्बा प्रयागराज	अभ्युक्ति 5 रिक्त पद के प्रति
		члог ч ч	कस्बा प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

516

/2024-25 दिनांक **2 b**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्म-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया

151	ता है:-			कहाँ को	अम्युवित
	नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ स	4	रिक्त पद
	1	2	पं0 वेनी सिंह भारत	किसान उण्टरगाउँ	के प्रति
	श्री नागेन्द्र पाल, स0310	18.11.2010	2 0	कालेज सरपतिपुर सरायइनायत प्रयागराज	
			कानपुरनार		

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक पृष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्त्रित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदंशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

उप शिर्मा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

515

/2024-25 दिनांक 🤈 🔉

स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1 श्री राकेश कुमार सिंह, प्रवक्ता	2	3	4	5
	31.7.2012	विक्ट्री इण्टर कालेज दोहरीघाट, मऊ	श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज लोहगरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 65 % 6 - 95

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।



कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 %

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि		95 12 155 3	
1	ग्गपुर्वित तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
श्रीमती कंचन	22 44 222	3	4	5
कुशवाहा, स0310	23.11.2021	बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज माधोगढ	श्री राधारमण महिला इण्टर कालेज नैनी	रिक्त पद के प्रति
		जालीन	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6576- 85

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह स्निश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८३ /2024-25 दिनांक २०००

े उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानन्तिरत किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि		१ १ १ ५६। स्थान	ान्तरित किया
श्रीमती वन्दना देवी	2	कहाँ से 3	कहाँ को	अभ्युक्ति
प्रवक्ता	18.8.2021	पं0कृष्ण चन्द्र शर्मा	44	5
		कन्या इण्टर कालेज	बापू इण्टर कालेज रेहुआ लालगंज	रिक्त पद के प्रति
		खण्डेराव गेड झांसी	प्रतापगढ	7 410

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 65 6 6 - 75 जलर प्रदेश। /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

512

/2024-25 दिनांक 2%

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-			कहाँ को	अभ्याक्त
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4/61 4/1	5
1	2	3	श्री विद्या मंदिर इण्टर	रिक्त पद
श्री अजय कुमार राय, प्रवक्ता	19.5.2022	श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज बबीना झांसी	क्रा विद्या गाँचर प्र कालेज गांजा प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

6556-65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 2 🖔

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	7.8-	. (3 1-11.)	
थी गर्दण		कहाँ से 3	कहाँ को	अभ्युक्ति
श्री राकेश कुमार स0अ0	16.12.2021	श्री के०एल०शास्त्री इण्टर कालेज मुनि	कृषक इण्टर कालेज कसौटा बसहरा	रिक्त पर
		बुलन्दशहर	उपरहार प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6546 - 55 / 2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को कार्यभार तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

510

/2024-25 दिनांक 🤈 🥱

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नवीन कुमार सिंह, प्रवक्ता	14.10.2020	श्री गुलजारी लाल मनीराम इण्टर कालेज खैरगढ फिरोजाबाद	श्री महाबल सिंह इण्टर कालेज लेहडी मेजा रोड प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

6536-45 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय.उ०प्र०. प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक 28

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

518

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश 840 / 15-05-2024-1800(40) संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के कम में अशासकीय सहायता पान क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्यार पर प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मण्य स्वरा (के क्रिक्त क्रिया) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

जाता है:-			कहाँ को	अभ्यावरा
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4	5
1	2	3	पब्लिक इण्टर कालेज	रिक्त पद
श्रीमती सुनीता, स०अ०	01.12.2021	गांधी विद्यालय इण्टर कालेज खेकडा बागपत	पब्लिक इंडिटर सम्मिन मनौरी प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ५८।६ २ /२०२४–२५ तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित

प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

519

/2024-25 दिनांक ≥ 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निज़ी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष कुमार सिंह, स0अ0	02.3.2022	विद्या निकेतन इण्टर कालेज सिरसवा हरचन्द्र मुरादाबाद	अवधेश इण्टरमीडिएट कालेज धारूपुर प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 66 2 6-35

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन—पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(र्शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

520

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

'	חומו 6.–			2 _7	अभ्यक्ति
	नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ का	5
	1	2	3	4	रिक्त पद
	श्रीमती नेहा नाज, स030	01.12.2021	चिरंजीलाल बालिका इण्टर कालेज अलीगढ	राधारमण इण्टर कालेज दारागंज प्रयागराज	4-8

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 6636 र्पूऽ प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का स्निश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

521

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-		<u> </u>	कहाँ को	अभ्याक्त
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4	5
1	2	3	श्री रणजीत पण्डित	रिक्त पद के प्रति
श्री सुरेन्द्र कुमार	21.8.2021	जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज	इण्टर कालेज नन।	q/ A
प्रवक्ता		कौथा उन्नाव	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक् की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन् किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का स्निश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

522

/2024-25 दिनांक 2 B

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-		~ \	कहाँ को	अभ्याक्त
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहां स	4	5
1	2	3	एस0आर0पी0नेशनल	रिक्त पद
श्री शैलेश कुमार, प्रवक्ता	25.11.2021	तिलकधारी सिंह इण्टर कालेज जौनपुर	इण्टर कालेज हंडिया प्रयागराज	. के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ६६ ५ ६ - 65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

523

/2024-25 दिनांक 2 🞖

जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आयेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:–			कहाँ को	अभ्याक्त
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4/8/ 4//	5
1	2	3	सरदार बल्लभ भाई	रिक्त पद
श्री अमित कुमार सिंह, स0अ0	05.11.2018	इण्टर कालेज रानीपुर जौनपुर	पटेल इण्टर कालेज जलालपुर कस्बा प्रयागराज	के प्रति
			प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 66 6 6 - 75 को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

524

/2024-25 दिनांक 🤰 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग यादव, स0अ0	06.12.202	श्री गेंदा किसान इण्टर कालेज नयावांस लाखनू हाथरस	शिव जियावन इण्टर कालेज लेड़ियारी प्रयागराजं	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र क्मार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6676-85

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त को त्ररंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपकें द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आवेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

525

/2024-25 विशांक **2. क्र**

जान, 2024

स्थानान्तरण आवेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनावेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुगति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पन्न के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्भुख स्तम्भ-4 में आंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतव्ह्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुवित तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युवित
1	2	3	4	5
श्री अरविन्द कुमार शर्मा, स०अ०— सम्बद्ध प्राइमरी	08.5.2015	राष्ट्रीय किसान इण्टर कालेज दौराला भेरठ	गोमती इण्टर कालेज फूलपुर प्रयागराज	रिवत पद के प्रति

सरेन्द्र क्मार तिवारी अपर शिक्षा निवेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6666-95

/ २०२४–२५) तदिवांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सुचना निदेशालय को तूरंत दी जाय। रशानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पन्न एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविध्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। 4-

5-सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(शर्मचेत) उप शिक्षा निदेशक(भा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक 28

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

52 6

जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:- नाम/पदनाम 1 श्रीमती शोभना तिवारी, प्रवक्ता	01.3.2022	कहाँ से 3 जनता कन्या इण्टर कालेज शिवपुरी खतौली मुजफ्फरनगर	different with	5 रिक्त पद के प्रति
---	-----------	---	----------------	---------------------------

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 6696 - 6705 को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

527

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ्शैल कुमारी, स०अ०	18.12.2021	सरदार पटेल इण्टर कालेज कचाटीपुर कन्नौज	इण्टर कालेज तेजगढ प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 67 0 6 - 15

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार प्राविवास की जान ।। 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी
2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी
पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा
संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना
सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

561

/2024-25 दिनांक 🕬

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अनुराधा भारतीया, स0अ0	21.4.2022	जनता इण्टर कालेज माडापार गोरखपुर	शिव इण्टर कालेज कटहरा हंडिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७५५८ – 65

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामर्चेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

562

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया ज्याला से

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
111/441111	1.13140 1014	3	4	5
श्री शैलेन्द्र कुमार, सठअ०	21.7.2017	जिला परिषद इण्टर कालेज उमरी जालौन	जरिबन्धन इण्टर कालेज बैजनाथ गोरिगों प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7516-75 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय भें कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पन्न एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

563

/2024-25 दिनांक 2

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि			
4	ा भुग्या ।ताथ	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
-0-0-0-	2	3	4	5
श्रीमती नीलिमा कुमारी, स0310	20.11.2021	जिला पंचायत इण्टर कोज मुरादगंज औरैया	जगदीश नारायण इण्टर कालेज ढिगवस प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

7576-85 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को स्चनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेत् अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

543

/ 2024-25 दिनांक 2√8

ाने

Ť,

T

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युवित
1	2	3	4	5
श्रीमती नेहा सिंह, स0अ0	20.11.2021	सुन्दर मुन्दर जायसवाल नगर पालिका बालिका इण्टर कालेज मीरजापुर	रमादेवी बालिका इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/ 2024–25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7376-85 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 12024 25 Partito Z.B

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

544

उत्तर प्रवेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादश पंख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिर्नाक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गर्मा अनुसीत क क्रम में अशाराकीय राष्ट्रायता प्राप्त जञ्चतर माध्यमिक विद्यालय/ हुण्डर कालेज के जिम्बलिखित संख्या प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेवन पत्र के आधार पर रिक्त पत्र के प्रति उन्हें निक्षी व्यय पर जनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्धारा स्थानान्तीयन किया

नियुवित तिथि	कहीं शे	4	विक्त !
0))	सर्वोदय शिक्षा सदम	क प्रा
18.8,2017	भातानान गठक प्र ^{००} कालेज श्रारीफनगर बरेली	जोकमनपुर बरौत	
	2	2 18.8.2017 भोतीलाल नेहरू इण्डर कालेज शरीफनगर	2 18.8.2017 मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज शरीफनगर इण्टर कालेज कालेज शरीफनगर केक्सनपर बरीत

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक। पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 73 86-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यगुक्त कर रथानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यभुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निवेशालय को तुरंत दी जाय। प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापिजका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना थुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं गण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सुचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाग अनुगन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुगन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह रथानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--वैयवित्तक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

रांबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निवेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा सूचनार्थ प्रेषित। संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज रो भौतिक रात्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही रथानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक **२०** जून, 2024 स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5
श्री उत्तम कुमार, स0310	18.11.2021	जनता सनातन धर्म इण्टर कालेज कुठौघ जालौन	राजा रघुराज सिंह इण्टर कालेज सैवतमऊ फतेहपर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7396-7405

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्निखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यमार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रवन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

546

/2024-25 दिनांक 20

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

जाता ह:-			कहाँ को	अभ्याक्त
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहा पर्रा	5
1	2	3	आद्या प्रसाद इण्टर	रिक्त पद
श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, स0अ0	29.11.2021	जिला पंचायत उ0मा0वि0 उमरैन औरैया	कालेज धूस देवघाट प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्टांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7486 -15 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(र्गमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

स0310

547

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान्/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त प्द के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-			कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4	5
1	2	आदर्श बजरंग इण्टर	जनहित इण्टर कालेज	रिक्त पद के प्रति
श्रीमती मंजुला देवी,	12.9.2022	कालेज बांदा	खागा फतेहपुर	INIK (P

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7416 — 25 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

548

/2024-25 दिनांक 🟖

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

2.5	जाता है:-		× 7	कहाँ को	अन्युक्त
1	नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि		4	रिक्त पद
	1	2	मिश्री लाल इण्टर	श्री रणजीत पंडित	
	श्री सुनील कुमार,	07.10.2020	कालेज मवैया मीरजापुर	इण्टर कालेज नैनी प्रयागराज	3 0 000
	स0अ0			учнин	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

7426-35 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

स्थांनान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रशान्त पाण्डेय, स०अ०	23.11.2021	नगर पालिका इण्टर कालेज अतरौली अलीगढ	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

743645 पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

/ 2024–25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

550

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:	25.11.202	3	कहाँ को 4 श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज चायल कौशाम्बी	अभ्याक्त 5 रिक्त पद के प्रति
कुशवाहा, सव्वव		बुलन्दशहर		

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

7446-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित् प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय सुनिश्चित करें। प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

557

/2024-25 दिनांक 210

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रतन सिंह, स0310	17.11.2021	गिरधारी सिंह जगतपत सिंह सिंगरौर इण्टर कालेज मकनपुर प्रयागराज	शिव इण्टर कालेज कटहरा हण्डिया प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7456 — 65

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

552

/2024-25 दिनांक 2€

जुन, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप कुमार शुक्ल, स0अ0	17.1.2019	श्री राम नारायण उ0मा0वि0 फूलपुर अजमेरी बादशाहपुर अम्बेडकरनगर	इलाहाबाद इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 74 6 6 - 75

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,

प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

553

/2024-25 दिनांक **२**-ि

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निंजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शकुन्तला बिटं , प्रवक्ता	20.8.2020	श्री श्याम बहादुर आर्य कन्या इण्टर कालेज बस्ती	डी0पी0गर्ल्स इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7 474 — 85

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्ररंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

554

/2024-25 दिनांक 2 🖓

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्न्लिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति 5
नाम / पदनाम 1 प्रिया गुप्ता, स०अ०	2 22 12 2021	2	डॉo केoपीoजायसवाल इण्टर कालेज	रिक्त पद के प्रति
		इण्टर कालेज आगरा	प्रयागराज	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7486-95 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0,

प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 विनांक 2.R

क्रमानान्तरण आवेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शारानावेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुगति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख रतम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतव्ह्यास स्थानान्तरित किया जाता है-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ शे	कहाँ को	अभ्युवित
1	2	3	4	. 6
श्री अशोक कुमार मौर्य, स०अ०	06.12.2021	गोवर्धन इण्टर कालेज मुफतीगंज, जौनपुर	आदर्श उ०मा०वि० डाहीनुमाया करेहदा प्रयागराज	रिक्त पव के प्रति

सरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निवेशक(गा0) उत्तर प्रवेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7496 - 7505

/ 2024-25 तत्वविनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित निदेशालय को कार्यभार ग्रहण करने की स्चना प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित रोवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे. जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निवेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निवेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

556

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:–	. = 22		कहाँ को	अभ्युक्ति
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	4/01 4/1	5
1	2	3	श्री बृज मंगल सिंह	रिक्त पद
श्री कृष्ण कुमार, स0अ0	04.12.2021	श्री बल्देव बिहारी उ0मा0विद्यालय नगला खंजी कासगंज	इण्टर कालेज रामपुर करछना प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 750 6-15 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय त्ररंत को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

557

/2024-25 दिनांक 2

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	रिक्त पर
श्री शशि प्रकाश तिवारी, स०अ०	01.12.2007	कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज हरिहरपुर संतकबीरनगर	श्री रणजीत पण्डित इण्टर कालेज नैनी प्रयागराज	

स्रेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7516-23 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

558

/2024-25 दिनांक 2-8

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	कहाँ को	अभ्यक्ति
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहां स	4/01 4.1	5
1	2	3	शिवाजी इण्टर कालेज	रिक्त पद
श्री अनिल कुमार पाल स030	12.7.2017	डिघरूवा इण्टर कालेज डिघरूवा फतेहपुर	सहसो प्रयागराज	के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7524-35 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। येंदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

559

/2024-25 दिनांक 2

जन, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

गता ह:- नाम ∕ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती केकता भारतीय, स0अ0	08.1.2022	जनता इण्टर कालेज आतापुर ओहनी आजमगढ	जनसेवा इण्टर कालीज मुहीउद्दीनपुर प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

स्रेन्द्र क्मार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश। / 2024-25 तददिनांक ।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ ७८३६-५८-

की

ग्रहण करने

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई

भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

कार्यभार

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

560

/2024-25 दिनांक **2**

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

•	
	4
जाता	F:-
211/11	-

गता है:−	नियक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्याक्त
नाम / पदनाम	2	3	4	र रिक्त पद
श्री रामेश्वर सिंह, स0अ0	03.12.2021	श्री जवाहर स्मारक इण्टर कालेज मीतई हाथरस	लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज धरवारा करछना प्रयागराज	AL

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक ।

7546-55 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक । 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 528

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री अर्चना देवी, सहायक अध्यापिका	24.12.2021	मनियर इण्टर कालेज मनियर बलिया	राम स्वरूप भारती इण्टरमीडिएट कालेज सुदरगंज प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7226- 35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेपित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(राम्म्बेर्त) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

529

/2024-25 दिनांक 🤰 🖇

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतीश कुमार, स0अ0	03.12.2021	कमर टैक्नीकल इण्टर कालेज जेवर गौतमबुद्वनगर	कौशाम्बी उ०मा० विद्यालय कोठी कनैली कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7236- 7245

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त दी जाय। स्थानान्तरित ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का स्निश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

नगर

124

10 7

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 विनांक 9 8

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनावैश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतवृद्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युवित
1	2	3	4	6
श्री बिन्दा प्रसाद, प्रवक्ता–इतिहास	27.03.2017	श्रीराम मॉडल इण्टर कालेज धौरा गौतमबुद्धनगर	स्व०हरतंश इण्टर कालेज रेवाड़ी फतेष्ठपुर	रिक्त पव के प्रति

(सुरेन्द्र कुगार तिवारी) अपेर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रवेश।

/ 2024–25 तवविनांक । पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को दी जाय। त्रंत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश रवतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रथानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निवेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविद्धिगी राही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रघानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (शामचेत) उप शिक्षा निदेशक(गा0-3) शिक्षा निर्देशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

531

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान्/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया

	ानके नाम के सम्मुख	K(1-1)	99W (27)		अभ्युक्ति
F	1	नियुक्ति तिथि	कहाँ से 3 कुसुम कुमारी	कहाँ का 4 महावीर उ0मा0	5 रिक्त पद के प्रति
	श्रीमती संगीता सरोज, स0अ0	15.12.2021	उ०मा०वि० बरेली	विद्यालय उमरी कोटिला छेउंगा प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/ 2024–25 तददिनांक ।

725% - 65 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सूचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सुनिश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

गार्ड पत्रावली।

(र्रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

532

/2024-25 दिनांक 28 स्थानान्तरण आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति क क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रमाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित क्रिया

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि			
	1.314(11(114)	कहाँ से	कहाँ को	अध्युक्ति
A	2	3	4	5
श्री राजकुमार, स0310	27.7.2017	जनता इण्टर कालेज असेनी औरैया	महेश्वरी प्रसाद इण्टर कालेज आलमचन्द्र कौशाम्बी	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7266-75

/ 2024-25 तददिनांक।

7

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूबित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी सचनार्थ प्रेषित। पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का स्निश्चित करें। सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदंशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के दिषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली। 6-

(श्रमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०५०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रवेश माध्यभिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यभिक विद्यालय / इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वत्सला जायसवाल, प्रवक्ता	22.12.2021	श्री केदारनाथ सेकसरिया आर्य कन्या इण्टर कालेज आगरा	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज सभागंज पूरबनारा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश। /2024–25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7276-85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यिमक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं

विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

5- सम्बन्धित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक ।

6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 24

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदृद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युवित
1	2	3	4	5
श्री मुकेश कुमार तिवारी, स0अ0	29.11.2021	जय भारत इण्टर कालेज छपार मुजफ्फरनगर	पं0 जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज जलालपुर सिकन्दरा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7286 -95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। रथानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतू अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य। 4-

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (शमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०. प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
नान/ पदनान	ानयुक्ति ।ताथ	कहा स		5
1	2	3	4 Din	रिक्त पद
श्री इन्द्रसेन कुमार, स0अ0	01.8.2017	हरद्वारी लाल जनहित उ०मा० विद्यालय नीलौनी मिर्जापुर गौतमबुद्वनगर	अनन्त प्रसाद सिंह इण्टर कालेज भदोही प्रतापगढ़	

सूरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7296-7365

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

536

/ 2024-25 दिनांक 2 🔊 जून, 2024

रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840/15—05—2024—1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इंग्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:—

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रमेश कुमार सिंह, स0अ0	01.2.2021	जय किसान इण्टर कालेज सकतपुर सनई सिद्वार्थनगर	ईश्वर शरण इण्टर कालेज प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7306-15

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेपित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रयक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाहा का जायगाः— 1— वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेपित। 2— संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेपित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।
3— संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान-प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं सुनिश्चित करें कि तथा प्रविष्टियाँ निर्मा की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमर्चित) उप शिक्षा निदेशक(मा0—3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र0, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

537

/2024-25 दिनांक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विमल कुमार, स०अ०	06.8.2013	किसान इण्टर कालेज खरड मुजफ्फरनगर	पी0बी0इण्टरमीडिएट कालेज एवं अजीत सार्वजनिक हाईस्कूल प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय / 7316 - 25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेत् निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को त्रंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख रथानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्या सामान्य(1)तृतीय/

/ 2024-25 विनोक 28

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनावेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अज्ञासकीय सहायता पाप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में ओंकेत विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5
भ्रो जितेन्द्र सिंह स०५०	18.7.2017	श्री लक्ष्मी नारायण उ0मा0वि0 सहाव जालौन	स्वण्डरवंश सिंह इण्टर कालेज रेवाडी फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 7326 -35

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सुचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

दैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सुचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर तें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(ज्ञाभचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

531

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान् / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता ह:-			कर्ने को	अभ्यक्ति
नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ की	- 3
1	2	3	4	रिक्त पद
श्री बंशीधर पाल, स0अ0	28.7.2017	श्री परमहंस इण्टर कालेज देवगांव कोंच जालौन	शिवाजी इण्टर कालेज पटेल नगर खेरहट खुर्द प्रयागराज	1 0

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/7336-45 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा

तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(समचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

719

/ 2024-25 दिनांक

2 🎗 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तूत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम / पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
11	2	3	4	5
श्री ओम प्रकाश सिंह, स0अ0	01.7.2022	पब्लिक इण्टर कालेज चौकिया सुलतानपुर	पी0बी0इण्टर कालेज प्रतापगढ सिटी	रिक्त पद के प्रति
		11	प्रतापगढ	

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9146-55

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना

स्निश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। /2024-25 दिनांक **28** जून, 2024

720

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या—840 / 15—05—2024—1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया

जाता है:- नाम/पदनाम 1 श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, स0310	नियुक्ति तिथि 2 01.7.2022	कहाँ से 3 पब्लिक इण्टर कालेज चौकिया सुलतानपुर	कहाँ को 4 पी0बी0इण्टर कालेज प्रतापगढ सिटी प्रतापगढ	उन्युपित 5 रिक्त पद के प्रति	
25					

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9156-65

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली।

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

721 / 2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5
श्री मोहसिन जमा खा, स०अ०	15.5.2017	सैययद अहमद खाँ जनता इण्टरमीडिएट कालेज बहदुरी बाजार महराजगंज	श्री राम प्रताप इण्टर कालेज सिरसा प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9166-75

/ 2024-25 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना
- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-
- 6-गार्ड पत्रावली।

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय/

722

/ 2024-25 विनांक 2-8 जून, 2024

रथानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित्त व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यगिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संरथा प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पन्न के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में आंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा रथानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुवित्त तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वन्दना सिंह, स0310	06.8.2019	श्री रामचन्द्र अग्रवाल गर्ल्स इण्टर कालेज हाथरस	श्री रामदास सिंह इण्टर कालेज केशवपुर करछना प्रयागराज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9176-85

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तृत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की रिथति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है. तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-

गार्ड पत्रावली। 6-

> (रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

723

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तृत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वन्दना सिंह, स०अ०	02.2.2017	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज सभागंज	मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इण्टर	रिक्त पद के प्रति
		पूरवनारा प्रयागराज	कालेज सोरांव	
		1	प्रयागराज	N T

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9186 - 95

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा / शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को

सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पृष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेवसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।

सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।

गार्ड पत्रावली।

(रॉमचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज।

आदेश संख्याःसामान्य(1)तृतीय /

724

/ 2024-25 दिनांक

2 Q जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840 / 15-05-2024-1600(169) / 2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमित के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5
श्री तेजबीर स0अ0	10.7.2017	नेहरू इण्टर कालेज महोबा	बंशगोपाल इण्टर कालेज रसूलपुर लदिगवा फतेहपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक(मा0)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 9196-9205

/ 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अगिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान / प्रवक्ता / अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जी पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरूद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:--

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निर्देशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तृति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भूगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक। 5-
- गार्ड पत्रावली। 6-

(रामचेत) उप शिक्षा निदेशक(मा0-3) शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०, प्रयागराज ।